

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

जनपद बागेश्वर के सम्मानित नागरिकों/मतदाताओं से अनुरोध है कि जनपद बागेश्वर के 02 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 46 कपकोट एवं 47 बागेश्वर(अ0जा0) की फोटोयुक्त मतदाता सूची में यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का नाम अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है या कोई दिव्यांग व्यक्ति जिसका नाम अभी तक निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अपना नाम प्रारूप-6 भरकर अपने निकटतम मतदेय स्थल पर नियुक्त बी0एल0ओ0 (मतदेय स्थल स्तरीय अधिकारी), अपने से संबंधित तहसील कार्यालय में जमा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु निम्न दूरभाष नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है :-

| क0सं0 | अधिकारी का नाम | दूरभाष | मोबाईल नम्बर |
|-------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | उप जिलाधिकारी कपकोट | 05963-253064 | 9761302742 |
| 2 | उप जिलाधिकारी बागेश्वर | 05963-220024 | 9675924599 |
| 3 | तहसीलदार कपकोट | 05963-253196 | 9837243732 |
| 4 | तहसीलदार काण्डा | 05963-241243 | 9837243732 |
| 5 | तहसीलदार बागेश्वर | 05963-220003 | 9410305552 |
| 6 | तहसीलदार गरुड़ | 05963-250803 | 9410305552 |
| 7 | तहसीलदार काफलीगैर एवं दुग नाकुरी | | 9410305552 |
| 8 | जिला निर्वाचन कार्यालय टौल-फ्री | 05963-1950, 18001804062 | |
| 9 | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बागेश्वर | 9917041923 | |

दिनांक 26 नवम्बर, 2018

अपर जिलाधिकारी /
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर।

पत्र संख्या- 1052/29-12/2018-19 दिनांक 26 नवम्बर, 2018.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय सांसद एवं विधायकगण, जनपद बागेश्वर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
3. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बागेश्वर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
4. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परिषद, बागेश्वर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
5. समस्त उप जिलाधिकारी / तहसीलदार जनपद बागेश्वर।
6. जिला शिक्षा / अपर जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद बागेश्वर।
8. जिलाध्यक्ष / महामन्त्री समस्त राजनैतिक दल, जनपद-बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आपसी सहयोग हेतु प्रेषित।
9. जिला सूचना अधिकारी, बागेश्वर को प्रेस नोट की अतिरिक्त प्रतियों सहित दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान में सरकारी न्यूनतम दर पर बिल आधार पर प्रकाशित करवाने हेतु।

अपर जिलाधिकारी /
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागेश्वर।